अध्याय IV

कार्यों को करने हेतु निर्धारित मानदंड

निम्न विविध कार्यों को करने हेतु कंपनी के पास सही ढंग से परिभाषित प्रक्रिया एवं दिशानिर्देश हैं:-

अधिकारों का प्रत्यायोजन:-

कंपनी के विविध स्तर के अधिकारी वित्तीय स्थायी आदेश - 2006 तथा उसमें संशोधनों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा उन्हें सौंपे गए अधिकारों के अंतर्गत ही अपने कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हैं।

अधिकारों का प्रत्यायोजन संस्था की नियमावली, संस्था के अंतर्नियमों, संबद्ध पॉलिसी दिशानिर्देशों तथा कंपनी के प्रशासनिक अनुदेशों के पालन के तहत है तथा कंपनी अधिनियम, बीमा अधिनियम, जीआईबीएन अधिनियम, आईआरडीए अधिनियम, सरकारी दिशानिर्देशों तथा अन्य सांविधिक/विनियामक अपेक्षाओं का उलंघन नहीं होना चाहिए।

CHAPTER-IV

THE NORMS SET FOR DISCHARGE OF FUNCTIONS

The Company has well defined procedure and guidelines for discharge of various functions as under:

Delegation of Powers:

The officers of the company at various levels discharge their functions & responsibilities within the powers delegated to them by the Board of Directors as per Financial Standing Order-2006 and amendments to the same.

The delegation of powers is subject to observance of Memorandum of Association, Articles of Association, relevant policy guidelines and administrative instructions of the company and should not infringe the Companies Act, Insurance Act, GIBN Act IRDA Act, Govt. Guidelines and any other statutory/regulatory requirement.